तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
न्यायालय	उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के.नं. 157/2019
12.11.20	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी / अप्रार्थी वाकिल [illegible] अप्रार्थी के वकिल द्वारा प्रस्तुत 7/11 के [illegible] पर कोई कार्यवाही नहीं चाहिए है प्रार्थी [illegible] खारीज किया जाता है प्रार्थी / अप्रार्थी [illegible] द्वारा रेकार्ड एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.11.20 को पेश हो।
19.11.20	पत्रावली पेश हुई। वाकिल प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 15/12/20 को पेश हो।
15.12.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित / विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा की आराजी नं. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 690/100 कुल खसरा 09 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 से 03 के नाम पर गलत रूप से अभिलिखित है। व उक्त आराजी नं. जिसके साबिक आराजी नम्बर 59 मी, 63, 64 मी, 69/1 मी, 71 मी है जो प्रार्थी के दादा भूरपुरी विपक्षी संख्या 01 के पिता नानुपुरी व विपक्षी संख्या 02, 03 के दादा कल्याण पुरी के नाम पर भू-

फर्द अहकाम

(नियम 26)

157/2020 मुकाम

शिवपुरी बनाम रामपुरी

नं. ____ हर्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या 02, 03 का 1/3 हिस्सा निहित होकर उसी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। व उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक अधिकार निहित है। व प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01 के पिता नानुपुरी व विपक्षी संख्या 02, 03 के दादा कल्याणपुरी द्वारा राजस्व कर्मचारी से मिलीभगती कर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के दादा नूरपुरी के नाम को हटाकर अपने नाम पर कराली है। अत: विपक्षी गण को तांफेसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे के वादग्रस्त आराजियात किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण नही करे।	
अधिवक्ता विपक्षी गण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के नाम की स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही है व राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है। व प्रार्थी व उसके पिता लादुपुरी एवं प्रार्थी के दादा नूरपुरी को कोई हक अधिकार नहीं रहा है विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के दादा नूरपुरी के नाम कभी भी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नहीं रही है सम्वत २०२१ की जमाबन्दी में भी	

विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के दादा [illegible]
के नाम राजस्व रेकार्ड मैं दर्ज नहीं रही है व
विवादग्रस्त आराजियात मैं सेटलमेन्ट [illegible]
दौरा सम्वत २०२१ मैं प्रार्थी के दादा भूरपुरी [illegible]
कोई नाम दर्ज नहीं किया है जो नाम [illegible]
व अन्य चाह नम्बर में संबन्ध है जो [illegible]
प्रस्तुत दस्तावेज से ही स्वंय साबित है व
विपक्षी संख्या 02 व 03 का 1/2 हिस्सा [illegible]
छाड पत्नि रामपुरी गोस्वामी निवासी [illegible]
को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 27-[illegible]
को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर
सुपुर्द करदी है। प्रार्थी को विवाद ग्रस्त आराजियात
में राहत प्राप्त करने हेतु उक्त विक्रय पत्र के
सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं करा देता
प्रार्थी का यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पोषनीय नही
होने से खारीज होने योग्य है। प्रार्थी के दादा
भूरपुरी एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता नानुपुरी
व विपक्षी संख्या 02 व 03 के दादा कल्याणपुरी
के सामलात में ग्राम दूदला मैं कृषि आराजी
संख्या 66,67,68,69,71,72,90,91 शामलाती रही
इसके अलावा आराजी संख्या 105, 106, 107, 108,
109, 110 भी ग्राम दूदला मैं स्थित है उक्त
आराजियात मैं भी उक्त तीनों नानुपुरी, कल्याण
पुरी, भूरपुरी के शामलाती थी उक्त आराजी
तीनों ने मिलकर भूरपुरी के नाम नाजायज
कब्जा होने से अलोट कराई थी। व विवादग्रस्त
आराजियात पिछले 90 वर्षो से विपक्षी जवाब
दार के पिता एवं दादा के नाम राजस्व रेकार्ड
मैं दर्ज होकर उनके उपयोग उपभोग मैं चली
आ रही है एवं प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार
पर गलत एवं मिथ्या वाद एवं प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्ती के है।
अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।
हमने पत्रावली का अवलोकन कर गहनता
से अध्ययन एवं उभयपक्षों की बहस पर

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गम्भीरता से मनन किया। सम्वत 2021 की जमाबन्दी में विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के दादा भूरपुरी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं रही है व विवादग्रस्त आराजियात सम्वत 2021 में प्रार्थी के दादा भूरपुरी का कोई नाम दर्ज नहीं है जो नाम बताया है व विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में नही होकर किसी अन्य चाह नम्बर की आराजी से संबंध है जो कि प्रस्तुत दस्तावेज से ही स्वंय साबित हो रहा है एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 का 1/2 हिस्सा भी वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 27.8.20 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी है। जिनको भी वाद में पक्षकार नही बनाया है प्रार्थी के दादा भूरपुरी एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता नानुपुरी व विपक्षी संख्या 02 व 03 के दादा कल्याणपुरी की ग्राम दूदला में कृषि आराजी संख्या 66, 67, 68, 69, 71, 72, 90, 91 शामलाती रही। इसके अलावा आराजी संख्या 105, 106, 107, 108, 109, 110 भी ग्राम दूदला में स्थित है व विवादग्रस्त आराजियात पिछले 70 वर्षों से विपक्षी जवाबदार के पिता एवं दादा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद संख्या 55/2020 के साथ संलग्न की जावे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)